636

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति गाजियाबाद की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति गाजियाबाद" की दिनांक 23.06.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः–

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, के शा0सं0 95/छिहत्तर–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी कियान्वयन एंव मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल 2010 (टी0सी0अ0) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति का पुर्नगठन किया गया था। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजना की स्वीकृति एंव राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अग्रसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 की स्वीकृति, कार्यो की प्रगति, भूमि सम्बन्धी एवं अन्य विवाद तथा जनपद हेतु नामित आई0एस0ए0 के कार्यो के संबध में जिलाधिकारी/अध्यक्ष गाजियाबाद की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति गाजियाबाद" की दिनांक 23.06.2023 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद–उपाध्यक्ष।
2. जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद–सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/नामित अधिकारी –सदस्य।
4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी–सदस्य।
5. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल गाजियाबाद –सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद –सदस्य।
7. अधिशासी अभियंता, सिचांई विभाग, गाजियाबाद –सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद –सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद –सदस्य।
10. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) गाजियाबाद –सदस्य सचिव।
11. तहसीलदार लोनी, जनपद गाजियाबाद।
12. श्री गोविन्द, डी0पी0एम0, आर0वी0 एसोसिएट, टी0पी0आई0 गाजियाबाद।
13. मैसर्स एल0सी0 इन्फा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) के प्रोजेक्ट मैनेजर।

1. <u>डी0पी0आर0 के संबध में</u>

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2393/w-22/NIT/2021-21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मै0 एल0सी0इन्फा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 विरचन एंव पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै0 एल0सी0इन्फा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गाजियाबाद हेतु पत्र संख्या–LC/GZB/JJM/280-B Date:-20-06-2023 के माध्यम से 06 नग संशोधित डी0पी0आर0 जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिनमे 06 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइड लाइन के अनुरूप कार्यालय अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), द्वारा जाँच की गई है। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी 12.50 प्रतिशत विभागीय सेंन्टेज तथा 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाईन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सैंटज के व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त योजनाओं 06 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योंजनाओं की डी0पी0आर0 की लागत रू0 5.00 करोड से कम होने के कारण शासनादेश संख्या –51 /2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के बिन्दु सं0 12 के अनुसार समस्त 06 नग योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार डी0पी0आर0 में (1) योजना की प्रति व्यक्ति लागत रू0 9000 से कम होनी चाहिए (2) योजना में एकल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रू0 35000 से कम होनी चाहिए तथा बहुल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रू0 65000 से कम होनी चाहिए (3) प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत रू0 15.00 लाख से कम होनी चाहिए (4) **O.H.T.** की क्षमता 25 के गुणांक में होनी चाहिए तथा स्टेजिंग 18 मी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स एल0सी0इन्फा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत 06 नग डी0पी0आर0 को निम्न कारणो से संशोधित किया गया है।

1. ग्राम हरमपुर विकास खण्ड लोनी की डी0पी0आर0 पूर्व में ग्राम खानपुर जप्ती के साथ सम्मिलित कर बनाई गई थी परन्तु ग्राम खानपुर जप्ती नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के कारण डी0पी0आर0 को संशोधित किया गया है।
2. ग्राम काकडा विकास खण्ड मुरादनगर की डी0पी0आर0 में योजना की तकनीकी स्वीकृति के समय ओवरहैड टैंक सम्मिलित होने से रह गया था जिस कारण से डी0पी0आर0 मे ओवरहैड टैंक को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 को सशोधित किया गया है।
3. ग्राम अफजलपुर विकास खण्ड लोनी में पूर्व में स्वीकृत डी0पी0आर0 के अन्तर्गत ग्राम की पाइप लाईन की लम्बाई वास्तविक रूप से मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई से कम है। उपरोक्त ग्राम की कुछ आबादी ग्राम से कुछ दूरी पर बसे होने के फलस्वरूप ग्राम के कुछ क्षेत्रों की पाईप लाईन का सर्वे तत्समय छूट जाने तथा कुछ गलियों का सर्वे ग्रामवासियों द्वारा नहीं करने देने के कारण उक्त ग्राम की पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में पाईप लाईन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध लम्बाई से कम है। वर्तमान में ग्राम अफजलपुर की डी0पी0आर में पाईप लाईन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई के अनुसार लेते हुए डी0पी0आर0 संशोधित की गयी है।
4. ग्राम सिरौरा सलेमपुर विकास खण्ड लोनी में स्वीकृत डी0पी0आर0 के अन्तर्गत ग्राम की पाइप लाईन की लम्बाई वास्तविक रूप से मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई से कम है। उपरोक्त ग्राम की कुछ आबादी ग्राम से कुछ दूरी पर बसे होने के फलस्वरूप ग्राम के कुछ क्षेत्रों की पाईप लाईन का सर्वे तत्समय छूट जाने तथा कुछ गलियों का सर्वे ग्रामवासियों द्वारा नहीं करने देने के कारण उक्त ग्राम की पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में पाईप लाईन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध लम्बाई से कम है। वर्तमान में ग्राम सिरौरा सलेमपुर की डी0पी0आर में पाईप लाईन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई के अनुसार लेते हुए डी0पी0आर0 संशोधित की गयी है।
5. ग्राम नगला फिराज मोहनपुर विाकस खण्ड रजापुर में स्वीकृत डी0पी0आर0 के अन्तर्गत ग्राम की पाइप लाईन की लम्बाई वास्तविक रूप से मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई से कम है। उपरोक्त ग्राम की कुछ आबादी ग्राम से कुछ दूरी पर बसे होने के फलस्वरूप ग्राम के कुछ क्षेत्रों की पाईप लाईन का सर्वे तत्समय छूट जाने तथा कुछ गलियों का सर्वे ग्रामवासियों द्वारा नहीं करने देने के कारण उक्त ग्राम की पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में पाईप लाईन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध लम्बाई से कम है। वर्तमान में ग्राम नगला फिराज मोहनपुर की डी0पी0आर में पाईप लाईन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई के अनुसार लेते हुए डी0पी0आर0 संशोधित की गयी है।
6. ग्राम कादराबाद विकास खण्ड भोजपुर में पूर्व में स्वीकृत डी0पी0आर0 के अन्तर्गत ग्राम की पाइप लाईन की लम्बाई वास्तविक रूप से मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई से कम है। उपरोक्त ग्राम की कुछ आबादी ग्राम से कुछ दूरी पर बसे होने के फलस्वरूप ग्राम के कुछ क्षेत्रों की पाईप लाईन का सर्वे तत्समय छूट जाने तथा कुछ गलियों का सर्वे ग्रामवासियों द्वारा नहीं करने देने के कारण उक्त ग्राम की पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में पाईप लाईन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध लम्बाई से कम है। वर्तमान में ग्राम कादराबाद की डी0पी0आर में पाईप लाईन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई के अनुसार लेते हुए डी0पी0आर0 संशोधित की गयी है।

उपरोक्त कारणो से उक्त 06 ग्रामो की डी0पी0आर0 को संशोधित किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स एल0सी0इन्फा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत 06 नग संशोधित डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आधार वर्ष 2022 की जनसंख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	डिजाईन वर्ष 2052 की जनसंख्या	वर्क कॉस्ट (रू0 करोड़)	सेंन्टेज (रू0 करोड़)	कुल लागत (रू0 करोड़)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाईन वर्ष 2052 हेतु (रू0 करोड़)	संशोधित डी0पी0आर में प्रति FHTC की लागत मानक रू0 35000 के सापेक्ष	पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर में प्रति FHTC की लागत मानक रू0 35000 के सापेक्ष	प्रति कि0मी0 की लागत मानक रू0 15 लाख के सापेक्ष	मानक के अनुरूप नही होने के कारण
1	अफजलपुर	लोनी	1	2885	712	4607	2.4859	0.2633	2.7492	5396	34914	39927	12.61	मानक के अनुरूप है
2	नगला फिरोज मोहनपुर	रजापुर	1	3794	903	5316	3.1591	0.3348	3.494	5940	34984	33885	13.39	मानक के अनुरूप है
3	कादराबाद	भोजपुर	1	5304	1045	7835	3.066	0.325	3.39	4015	29340	26545	14.90	मानक के अनुरूप है
4	काकडा	मुरादनगर	1	2677	595	4147	2.504	0.265	2.77	6039	42084	37905	13.59	पाईप लाईन की लम्बाई अधिक होने

														आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण
5.	सिरोरा सलेमपुर	लोनी	1	3159	650	5016	2.783	0.295	3.078	5549	42815	38202	9.93	पाईप लाईन की लम्बाई अधिक होने, आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण
6.	हरमपुर	लोनी	1	290	70	405	0.995	0.105	1.101	24570	142143	46553	11.64	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त विवरण के अनुसार मैसर्स एल0सी0इन्फा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त 06 नग डी0पी0आर0 में से कमांक 01, कमांक 02 एवं कमांक 03 पर अंकित 03 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित विभिन्न मानको के अनुरूप है तथा कमांक 04, कमांक 05 एवं कमांक 06 पर अंकित 03 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित विभिन्न मानको के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त समस्त 06 नग डी0पी0आर0 की विस्तृत रूप से जांच कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद एवं डी0पी0एम0यू0 के अभियन्ताओं द्वारा भी की गई है तथा नियमानुसार प्रयास करने पर भी मानक के अनुरूप नहीं पाई गई 03 नग डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित विभिन्न मानको के अनुरूप लाना सम्भव नहीं हो सका है।

सदस्य सचिव मुख्य अभियंता (मेरठ क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत उपरोक्त समस्त 06 नग योजनाओं डी0पी0आर0 एंव निर्धारित 45 कॉलम प्रपत्र जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति गाजियाबाद के समक्ष शासनादेश संख्या–03/2022/230/छिहत्तर–1–2022–25सम/2019 दिनांक 08.02.2022 के अनुसार 5.00 करोड लागत तक डी0पी0आर0 की वित्तीय एंव प्रशासकीय स्वीकृति एवं राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करने पर निर्णय हेतु समस्त अभिलेखों सहित जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति गाजियाबाद के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट एवं अन्य अभिलेखो के आधार पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्तुत 06 नग डी0पी0आर0 में से कमांक 01 अफजलपुर, कमांक 02 नगला फिरोज मोहनपुर एवं कमांक 03 कादराबाद ग्रामों की डी0पी0आर0 मानको के अनुरूप होने तथा डी0पी0आर0 की लागत रू0 5.00 करोड से कम होने के फलस्वरूप उक्त 03 नग डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्रदान की गई तथा कमांक 04 काकडा, कमांक 05 सिरोरा सलेमपुर एवं कमांक 06 हरमपुर ग्रामों की मानको के अनुरूप नहीं पाई 03 नग योजनाओ की डी0पी0आर0 को जॉच एवं स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

2 . <u>कार्यो की प्रगति की समीक्षा–</u>

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद मे पूर्व में कुल 148 ग्राम चयनित थे परन्तु 06 ग्राम नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के कारण वर्तमान में मात्र 142 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्य कराये जाने है। समस्त 142 ग्रामों की 128 नग डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी है। उक्त 128 नग स्वीकृत डी0पी0आर0 में से 02 डी0पी0आर0 (02 ग्राम) संशोधित की जानी है। वर्तमान में 112 डी0पी0आर0 के सापेक्ष कार्य प्रगति पर है। कुल 110 नग नलकूप का बोरिंग कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। 98 नग ओवरहैड टैंक का कार्य प्रगति पर है। कुल 385 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाते हुए 67000 पेयजल कनेक्शन कराये गये है। अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओ के कार्य प्रारम्भ नही हुए है उन्हे तत्काल चालू कराया जाये।ग्रामों में बिछायी जा रही पाइप लाईनो में उचित गुणवत्ता का पाइप प्रयोग किया जाये तथा पाइपों को उचित प्रकार से ज्वाइट किया जाये जिससे भविष्य में पाइप लाईनो मे लीकेज की समस्या उत्पन्न नही हो। अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा समस्त कार्यो को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

3. <u>योजनाओं हेतु उपलब्ध भूमि पर विवाद के संबध में–</u>

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि योजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई भूमियों में से तहसील मोदीनगर में 08 ग्रामों की योजनाओं पर भूमि सम्बन्धी एवं अन्य विवाद तथा तहसील लोनी में 03 ग्रामों की योजनाओं पर भूमि सम्बन्धी एवं अन्य विवाद है। अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित तहसीलदारो को उक्त विवादों को समाप्त करवाते हुए कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये ।

4. <u>ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 के देयको के सम्बन्ध में :–</u>

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2428/w-314/JJM-ISA/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के कम में अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद के पत्रांक 960/कार्य–34/78 दिनांक 27.05.2021 के द्वारा जनपद गाजियाबाद हेतु चयनित ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 को विकास खण्ड रजापुर के 34 एवं विकास खण्ड भोजपुर के 47 ग्राम कुल 81 ग्राम आवंटित

हुए अनुबन्ध गठित किया गया था। अनुबन्धों एवं शासनादेश सं0 03/2021/ 423/छिहत्तर–1–2021–03 ...कायत/2020 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आई0एस0ए0 को तीन फेज में सभी कार्यों/गतिविधियों को पूर्ण करना ...तावित है। शासनादेश सं0 65/2022/3396/छिहत्तर–1–2022– 03सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के कम में आई0एस0ए0 द्वारा प्रस्तुत बिलों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है। प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन फेज के अन्तर्गत आई0एस0ए0 को कुल 07 नग एक्टीविटी का कार्य एवं डिलिवरेबलस सहित सम्पादित कराया जाना है अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक पत्रांक 2737/w-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार प्रथम फेज की गतिविधियों को पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत का भुगतान एवं 05 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन के कार्य पूर्ण कराते हुए धनराशि रू0 1479940.00 का बिल रजापुर ब्लॉक के 34 ग्रामों हेतु एवं धनराशि रू0 1861860.00 का बिल भोजपुर ब्लॉक के 39 ग्रामों हेतु जी0एस0टी0 सहित कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद में प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयको एवं कराइ गई गतिविधियों को डी0पी0एम0यू0 एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद की संयुक्त जांच कराने एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद से संस्तुति कराकर एवं जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन कराने के उपरान्त ब्लाक भोजपुर हेतु 1145760.00 एवं ब्लाक रजापुर हेतु 1561560.00 कुल धनराशि 2707320.00 जी0एस0टी0 सहित का भुगतान राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किया गया था। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोएडा के देयको का भुगतान उनके खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे कर दिया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन के कार्य पूर्ण कराते हुए ब्लाक रजापुर के प्रथम देयको की अवशेष गतिविधियों की धनराशि रू0 334180.00 का देयक एवं ब्लाक भोजपुर के प्रथम देयको की अवशेष गतिविधियों की धनराशि रू0 300300.00 का देयक तथा इसके अतिरिक्त भोजपुर ब्लाक के 47 में से अवशेष 08 ग्राम की समस्त गतिविधियो का धनराशि रू0 381920.00 का बिल इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयकों की जॉच संयुक्त रूप से आई0एस0ए0 कोर्डिनेटर डी0पी0एम0यू0, गाजियाबाद एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा की गई है। संयुक्त जांच के उपरान्त प्रथम फेज की ब्लाक रजापुर एवं भोजपुर की समस्त गतिविधियां पूर्ण होने के उपरान्त ब्लाक रजापुर के देयक धनराशि रू0 334180.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 334180.00 (जी0एस0टी0 सहित) एवं ब्लाक भोजपुर के 02 देयको की धनराशि रू0 682220.00 (रू0 300300.00 + रू0 381920.00) के सापेक्ष धनराशि रू0 682220.00 (जी0एस0टी0 सहित) के भुगतान की संस्तुति की गई।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इसके अतिरिक्त द्वितीय फेज (इम्पलिमैन्टेशन फेज) के अन्तर्गत आई0एस0ए0 को कुल 06 नग एटिविटी का कार्य एवं डिलिवरेबलस सहित सम्पादित कराया जाना प्रस्तावित है। द्वितीय फेज की गतिविधियों को पूर्ण होने पर 12.50 प्रतिशत का भुगतान एवं 02 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 07 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 द्वारा द्वितीय फेज (इम्पलिमैन्टेशन फेज) के कार्य कराते हुए धनराशि रू0 1164240.00 का देयक (जी0एस0टी0 सहित) ब्लाक रजापुर एवं धनराशि रू0 1411410.00 का देयक (जी0एस0टी0 सहित) ब्लाक भोजपुर हेतु कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद में प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयकों की जॉच संयुक्त रूप से आई0एस0ए0 कोर्डिनेटर डी0पी0एम0यू0, गाजियाबाद एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा की गई है। संयुक्त जांच के उपरान्त द्वितीय फेज में कराई गई गतिविधियों में से कुछ गतिविधियाँ पूर्ण ना होने के उपरान्त ब्लाक रजापुर में कुल 19.50 प्रतिशत में से 15.50 प्रतिशत धनराशि रू0 956340.00 जी0एस0टी0 सहित एवं ब्लॉक भोजपुर में 19.50 प्रतिशत में से 15.61 प्रतिशत धनराशि रू0 1130360.00 जी0एस0टी0 सहित के भुगतान की संस्तुति की गई है। इस प्रकार आई0एस0ए0 कोर्डिनेटर डी0पी0एम0यू0, गाजियाबाद एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 के उपरोक्त प्रस्तुत देयको के अन्तर्गत ब्लाक रजापुर के देयको की कुल धनराशि रू0 1498420.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 1290520.00 एवं ब्लाक भोजपुर के देयको कीं कुल धनराशि रू0 2093630.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 1812580.00 कुल धनराशि रू0 3103100.00 (रू0 1290520.00 + रू0 1812580.00) की संतुति की गई है।

5. सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई0एस0ए0 के देयको के सम्बन्ध में :–

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2428/w-314/JJM-ISA/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के कम में अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद के पत्रांक 960/कार्य–34/78 दिनांक 27.05.2021 के द्वारा जनपद गाजियाबाद हेतु चयनित सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई0एस0ए0 को विकास खण्ड मुरादनगर के 48 एवं विकास खण्ड लोनी के 32 ग्राम कुल 80 ग्राम आवंटित करते हुए अनुबन्ध गठित किया गया था। अनुबन्धों एवं शासनादेश सं0 03/2021/ 423/छिहत्तर–1–2021–03 शिकायत/2020 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आई0एस0ए0 को तीन फेज में सभी कार्यों/गतिविधियों को पूर्ण करना प्रस्तावित है। शासनादेश सं0 65/2022/3396/छिहत्तर–1–2022–03सम /2022 दिनांक 03.10.2022 के कम मे आई0एस0ए0 द्वारा प्रस्तुत बिलों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है। प्रथम फेज (प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन फेज) के अन्तर्गत आई0एस0ए0 को कुल 07 नग एक्टीविटी का कार्य एवं डिलिवरेबलस सहित सम्पादित कराया जाना है अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक पत्रांक 2737/w-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार प्रथम फेज की गतिविधियों को पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत का भुगतान एवं 05 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन के कार्य पूर्ण कराते हुए धनराशि रू0 2414280.00 का बिल मुरादनगर ब्लॉक के एवं धनराशि रू0 2011900.00 का बिल लोनी ब्लॉक हेतु जी0एस0टी0 सहित कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद में प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयकों की जॉच संयुक्त रूप से आई0एस0ए0 कोर्डिनेटर डी0पी0एम0यू0

295

...बाद एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा की गई है। संयुक्त जांच के उपरान्त प्रथम फेज में ...गई गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों पूर्ण ना होने के उपरान्त ब्लाक मुरादनगर में कुल 34 प्रतिशत में से 26 प्रतिशत धनराशि रू0 1921920.00 (जी0एस0टी0 सहित) एवं ब्लॉक लोनी में 34 प्रतिशत में से 28 प्रतिशत धनराशि रू0 1724800.00 (जी0एस0टी0 सहित) के भुगतान की संस्तुति की गई। इस प्रकार आई0एस0ए0 कोर्डिनेटर डी0पी0एम0यू0, गाजियाबाद एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई0एस0ए0 के उपरोक्त देयको में से ब्लाक मुरादनगर में कुल धनराशि रू0 2414280.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 1921920.00 एवं ब्लाक लोनी में कुल धनराशि रू0 2011900.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 1724800.00 कुल धनराशि रू0 3646720.00 (रू0 1921920.00 रू0 +1724800.00) की संतुति की गई है।

ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 तथा सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई0एस0ए0 के उपरोक्त प्रस्तुत देयको के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि देयको के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का ग्राम प्रधान/अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से सत्यापन कराने के उपरान्त देयको को पुनः जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

628

बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

23/06/2023

अधिशासी अभियंता,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजियाबाद
सदस्य सचिव।

जिला सूचना एंव
जन सम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद
सदस्य।

जिला कृषि अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

अधिशासी अभियंता ग्राउड वाटर,
गाजियाबाद सदस्य।

अधिशासी अभियंता सिचांई,
गाजियाबाद सदस्य।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

प्रभागीय वनाधिकारी
गाजियाबाद सदस्य।

23/6/2023

जिला विकास अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

मुख्य विकास अधिकारी,
गाजियाबाद, उपाध्यक्ष।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद।